न्यायालय ... संभाग उज्जैन
प्रतिलिपि शाखा
आवेदन क्रमांक 177 दिनांक 16/3/99

(34)

प्रतिलिपि प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 25-1-99 न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।

प्रकरण क्रमांक 98/98-99 अपील, निग0में परिवर्तित प्रकरण क्रमांक 46/98-99 निग0

श्रीमती कौशल्याबाई पति हाकमसिंह राजपूत निवासी ग्राम पीपलिया डाबी तहसील खाचरोद द्वारा मु0आम- हाकमसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी पिपलिया डाबी तहसील खाचरोद

---प्रार्थी

विरूद्ध

रामचन्द्र पिता नाथूलाल चतुर्वेदी, निवासी ग्राम पीपलिया डाबी तहसील खाचरोद

---प्रतिप्रार्थी

अनुविभागीय अधिकारी, खाचरोद के प्रकरण क्रमांक 2/अ-89-अ-15/97-98 में पारित आदेश दिनांक 18-1-99 के विरूद्ध

25-1-1999

1- अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एस0एस0बुखारी ने यह अपील अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद के प्रकरण क्रमांक 2/अ-89 अ-15/97-98 में पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 18-1-1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपील में दर्ज किया जावे ।

2- अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एस0एस0बुखारी ने आज ग्राह्यता एवं स्थगन के प्रश्न पर सुने जाने का आग्रह किया । उन्हें सुना गया ।

3- अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद द्वारा पारित उक्त आदेश रिमाण्ड आदेश होने के कारण अपील ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती । परन्तु अभिभाषक की त्रुटि के कारण पक्षकार को [illegible] दण्डित नहीं किया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल के अन्य प्रकरणों एवं न्याय दृष्टान्तों में दिये गये निर्देशों के प्रकाश में इस अपील को अपील दायरा में से कम किया जाकर निगरानी में परिवर्तित कर निगरानी रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं ।

4- अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध निगरानी संहिता की धारा 50 के प्रावधान के अनुरूप - कलेक्टर को प्रस्तुत की जाना चाहिये । इसलिये यह निगरानी आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु आवेदक को वापस की जाना उचित

अपर आयुक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग, उज्जैन

COURT FEE INDIA ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY
COURT FEE INDIA ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY
TWO RUPEES

20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 615–एक / 1999 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–09–2014	उभयपक्ष अधिवक्ताओं को पूर्व में भेजे गये नोटिस तामीली उपरांत भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थित में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	